(2)

70

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 302/2022

अशोक कुमार पुत्र श्री फूलसिंह, निवासी माकडो, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333504, मो0न0 9352663804

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 302/2022 पर दिनांक 09.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4558–59 दिनांक 09.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/286 दिनांक 27.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अशोक कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के संबंध मे बिन्दुवार जबाब निम्न प्रकार है कि बिन्दू सं0 1 मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना बाबत राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल्स सर्वेक्षण (पैमाईश) यदि कोई खातेदार या गैर खातेदार अपने खेत का सर्वेक्षण और सीमांकन करवाना या अपने खेत की परिधि के साथ–साथ सीमा चिन्ह लगवाना चाहता है तो विहित प्रारूप मे तहसीलदार को आवेदन करेगा। बिन्दू सं0 2 मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे कोई खातेदार अभिधारी 500 वर्ग मीटर ये अनाधिक क्षेत्र पर निवास गृह या पशु शाला या भण्डार गृह बनाने के लिए अपनी कृषि जोत को नियम 6 के अधीन संदेय कोई प्रीमियम दिये बिना संपरिवर्तित कराने का हकदार होगा। इस प्रकार संपरिवर्तित क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति मे बना रहेगा। बिन्दू सं0 3 मे यदि किसी अन्य खातेदार की कृषि भमि मे कोई जबरदस्ती निर्माण या कब्जा का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो संबंधित खातेदार द्वारा शिकायत/प्रार्थना पत्र भूमि धारक के पास प्रस्तुत करने पर भूमि धारक द्वारा अन्य व्यक्ति को अपने अधीनस्थ पटवारी/भू0अ0निरीक्षक द्वारा पाबन्द करवाया जाता है। बिन्दू सं0 4 का जबाब बिन्दू सं0 3 मे विस्तृत से लिखा गया है। बिन्दू सं0 5 मे आवेदक द्वारा अधिकारी/कर्मचारी पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है जिसका जबाब दिया जाना उचित नही है। बिन्दू सं0 6 प्रश्न वाचक होने से उत्तर की आवश्यकता नही है। बिन्दू सं0 7 मे खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु संबंधित न्यायालय के आदेशानुसार एवं नियमानुसार खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। बिन्दू सं0 8 मे भूमि धारक द्वारा नक्शे से खसरा नम्बर को ज्ञात किया जाता है एवं विवाद होने पर किसी मुस्तकिल बिन्दू से खसरा का नम्बर मालूम किया जाता है। बिन्दू सं0 9 मे यदि किसी खातेदार की भूमि मे भूमाफियों द्वारा जबरदस्ती निर्माण किया जाता है तो राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल्स के [illegible]लदार द्वारा अपने कर्तव्य को निर्वहन किया जाता है। बिन्दू सं0 10 मे भूमि धारक राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल्स [illegible] अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करता है। बिन्दू सं0 11 मे भूमि धारक आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख [illegible] किये जाने के कारण जबाब दिया जाना संभव नही है। बिन्दू सं0 12 ग्राम ढाणी हुकमा [illegible] तहसीलदार [illegible] द्वारा 90क की कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। [illegible] तहसीलदार बुहाना के प्रकरणों [illegible]न् अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के अपील होने पर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.2022 के अनुसार तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा गया एवं न्यायालय तहसीलदार बुहाना की पत्रावलियों की अपील माननीय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे अपील हो जाने पर श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 21.01.2022 व तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.08.2021 की कियान्विती की जाकर वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested

के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश दिये गये है। पूर्व मे आवेदक द्वारा अवगत कराने पर समय–समय पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिसको आवेदक द्वारा आवेदन करने पर प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करवाई गई है। बिन्दू सं0 13 मे सामूहिक खातेदारों द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि जरिये क्रिय पत्र किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देता है एवं बेचान भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो जाता है तब क्रेता को खातेदार माना जाता है। बिन्दू सं0 14 मे नायब तहसीलदार सिंघाना को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।

6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/286 दिनांक 27.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अशोक कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के संबंध मे बिन्दुवार जबाब निम्न प्रकार है कि बिन्दू सं0 1 मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना बाबत राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल्स सर्वेक्षण (पैमाईश) यदि कोई खातेदार या गैर खातेदार अपने खेत का सर्वेक्षण और सीमांकन करवाना या अपने खेत की परिधि के साथ–साथ सीमा चिन्ह लगवाना चाहता है तो विहित प्रारूप मे तहसीलदार को आवेदन करेगा। बिन्दू सं0 2 मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे कोई खातेदार अभिधारी 500 वर्ग मीटर ये अनाधिक क्षेत्र पर निवास गृह या पशु शाला या भण्डार गृह बनाने के लिए अपनी कृषि जोत को नियम 6 के अधीन संदेय कोई प्रीमियम दिये बिना संपरिवर्तित कराने का हकदार होगा। इस प्रकार संपरिवर्तित क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति मे बना रहेगा। बिन्दू सं0 3 मे यदि किसी अन्य खातेदार की कृषि भमि मे कोई जबरदस्ती निर्माण या कब्जा का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो संबंधित खातेदार द्वारा शिकायत/प्रार्थना पत्र भूमि धारक के पास प्रस्तुत करने पर भूमि धारक द्वारा अन्य व्यक्ति को अपने अधीनस्थ पटवारी/भू0अ0निरीक्षक द्वारा पाबन्द करवाया जाता है। बिन्दू सं0 4 का जबाब बिन्दू सं0 3 मे विस्तृत से लिखा गया है। बिन्दू सं0 5 मे आवेदक द्वारा अधिकारी/कर्मचारी पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है जिसका जबाब दिया जाना उचित नही है। बिन्दू सं0 6 प्रश्न वाचक होने से उत्तर की आवश्यकता नही है। बिन्दू सं0 7 मे खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु संबंधित न्यायालय के आदेशानुसार एवं नियमानुसार खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। बिन्दू सं0 8 मे भूमि धारक द्वारा नक्शे से खसरा नम्बर को ज्ञात किया जाता है एवं विवाद होने पर किसी मुस्तकिल बिन्दू से खसरा का नम्बर मालूम किया जाता है। बिन्दू सं0 9 मे यदि किसी खातेदार की भूमि मे भूमाफियों द्वारा जबरदस्ती निर्माण किया जाता है तो राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल्स के तहत तहसीलदार द्वारा अपने कर्तव्य को निर्वहन किया जाता है। बिन्दू सं0 10 मे भूमि धारक राजस्थान लैण्ड रेवन्यू रूल्स के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करता है। बिन्दू सं0 11 मे भूमि धारक आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख नही किये जाने के कारण जबाब दिया जाना संभव नही है। बिन्दू सं0 12 ग्राम ढाणी हुकमा के खसरा नम्बर 729/684 मे न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा 90क की कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। न्यायालय तहसीलदार बुहाना के प्रकरणों की श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के अपील होने पर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.2022 के अनुसार तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा गया एवं न्यायालय तहसीलदार बुहाना की पत्रावलियों की अपील माननीय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे अपील हो जाने पर श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 21.01.2022 व तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.08.2021 की क्रियान्विती की जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश दिये गये है। पूर्व मे आवेदक द्वारा अवगत कराने पर समय–समय पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिसको आवेदक द्वारा आवेदन करने पर प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करवाई गई है। बिन्दू सं0 13 मे सामूहिक खातेदारों द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि जरिये क्रिय पत्र किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देता है एवं बेचान भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो जाता है तब क्रेता को खातेदार माना जाता है। बिन्दू सं0 14 मे नायब तहसीलदार सिंघाना को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं